भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2689

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास

2689. श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों और स्थानीय व्यापार केन्द्रों के विकास के लिए कोई पहल की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में उद्यमियों और व्यापारियों को नए उद्योगों की स्थापना और निर्यातोन्मुखी इकाइयों के विस्तार के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): उद्योगों की स्थापना मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि, भारत सरकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा उपयुक्त नीतिगत उपायों के माध्यम से देश के समग्र औद्योगिक विकास हेतु सक्षम ईकोसिस्टम उपलब्ध कराती है।

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ कम करना, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार इत्यादि जैसे विभिन्न उपाय अपनाए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार, वित्तीय सहायता प्रदान करके और इन्क्यूबेशन

ईकोसिस्टम को मजबूत करते हुए देश में नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वर्ष 2018-19 से लगातार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत "नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है।

देश के प्रत्येक जिले के उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के तहत, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से निम्नलिखित उत्पादों को पहचान की गई है:

राज्य	**जिला**	**उत्पाद**	**वर्ग**	**क्षेत्र**
उत्तर प्रदेश	अमरोहा	वाद्य यंत्र (ढोलक)	प्राथमिक	विनिर्माण
उत्तर प्रदेश	अमरोहा	रेडीमेड गारमेंट्स	द्वितीय	वस्त्र

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), अमरोहा जिले सहित उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमईजीपी के तहत कृषि आधारित सूक्ष्म उद्यमों को भी सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि लघु और मध्यम उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों और स्थानीय व्यापार केन्द्रों के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित स्कीमें चलाई जा रही हैं -

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति-2022 (नई औद्योगिक इकाई की स्थापना और विस्तार के लिए पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प प्रोत्साहन)।

2. एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्तपोषण स्कीम।

3. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार स्कीम।

4. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्कीम।

5. सूक्ष्म और लघु उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम।

(ख) और (ग): जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि अमरोहा जिले में नए उद्योगों की स्थापना और निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति-2022 (नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए-पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, प्रोत्साहन)।
2. उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022।
3. एक जिला एक उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र।
4. प्रतिज्ञा पार्क स्कीम।
5. यूपी निर्यात विनिर्माण विकास स्कीम-2016।
6. उत्तर प्रदेश निर्यात नीति-2025।
7. एयर फ्रेट रैशनलाइजेशन स्कीम।
8. गेटवे पोर्ट को निर्यात के लिए भेजी गई वस्तुओं हेतु फ्रेट सब्सिडी स्कीम।
9. निर्यात संवर्धन (विनिर्माण और सेवा) हेतु विपणन विकास के लिए वित्तीय सहायता।
10. डाकघर निर्यात केंद्र सहायता स्कीम के तहत वित्तीय सहायता।
11. निर्यात ऋण बीमा सहायता स्कीम।
12. निर्यात प्रदर्शनी आधारित प्रोत्साहन स्कीम।

*****